

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 423 जयपुर/2004-2005

यह प्रमाणित किया जाता है कि मानव सेवा संस्थान

जमवारामगढ़, जयपुर

जिला जयपुर


राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज

दिनांक 16 माह 09 सन दो हजार 2004

को जयपुर में किया गया।




रजिस्टार संस्था
जयपुर

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर-1 © 2374969 2751352

2751417


मानव सेवा संस्थान, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, (राज.)


संघ विधान-पत्र


1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम मानव सेवा संस्थान, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, (राज.) है व रहेगा ।
2. पंजीकृत कार्यालय: इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय —सीहरा सदन, बस स्टैंड, जमवारामगढ़, है । संस्था संविधानुसार (विधान) कार्य करेगी तथा बिना किसी लाभ व हानि के आधार पर इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा ।
3. संस्था के उद्देश्य: इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :-

सामाजिक :

1. जाति, लिंग, नस्ल और रंग भेद के बिना मानवता के विकास के लिए कार्य करना ।
2. समाज में व्यवस्थित रूप से सामाजिक विकास का ढांचा बनाने हेतु नेटवर्क स्थापित करना ।
3. सामाजिक विचार धारा में परिवर्तन हेतु कार्यक्रम तथा प्रोजेक्ट निर्माण करना और उन्हें लागू करना ।
4. समाज से सामाजिक बुराईयों को दूर करने के लिए कार्यक्रम एवं योजनाएं तैयार करना तथा उन्हें लागू करना ।
5. समाज के अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के उत्थान और उनकी समाज में भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रोजेक्ट तैयार करना और उन्हें लागू करना ।
6. सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्यरत संगठनों के साथ मिलकर कार्य करना ।
7. मंदबुद्धि और विकलांगों को सहायता उपलब्ध करवाना और उन्हें मुख्य धारा से जोड़कर सम्मानजनक और स्वाभिमान युक्त जीवन प्रदान करना ।
8. आम जनता को मंदबुद्धि और विकलांगों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के प्रति जागरूक कर प्रशिक्षित करना ।
9. सभी जिला व तहसील मुख्यालयों पर हेल्पलाइन परामर्श केन्द्र स्थापित करना ।
10. जरूरतमंद वृद्धों की बेहतर देखरेख और प्रतिष्ठापूर्ण जीवन प्रदान करने के प्रोजेक्ट और कार्यक्रम बनाना ।
11. महिला सशक्तीकरण के लिए कार्य करना, कार्यक्रम व प्रोजेक्ट बनाना और क्रियान्वित करना ।
12. ग्रामीण व आदिवासी महिलाओं का जीवन स्तर उठाना और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अवसर प्रदान करना ।


अध्यक्ष


मन्त्री (सचिव)


कोषाध्यक्ष

13. बालिकाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए प्रोजेक्ट व कार्यक्रम बनाना और उन्हें लागू करना ।
14. राजनीतिक सामाजिक और सरकारी कार्यों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना ।
15. समाज में सती प्रथा, बाल विवाह तथा अन्य सामाजिक बुराईयों को दूर करने के प्रयास करना और जागरूकता लाना ।
16. दहेज, बहुविवाह तथा अन्य महिला अत्याचारों के खिलाफ लड़ना और उन्हें विधिक उपचार दिलाने के प्रयास करना ।
17. अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों तथा विधवाओं के लिए आवास तथा छात्रावास बनाकर उपलब्ध करवाना ।
18. शहीदों की विधवाओं तथा कामकाजी महिलाओं को आवास उपलब्ध करवाना ।
19. समाज में व्याप्त यौनाचार तथा वेश्यावृत्ति की खिलाफ जन जागरण करना ।
20. समाज में व्याप्त अंधविश्वास, संकुचित सोच और धर्मान्धता को दूर कर वैज्ञानिक सोच लाने के लिए प्रोजेक्ट बनाना, और उन्हें लागू करना ।
21. वसुधैव कुटुम्बकम् के सिद्धांत पर विश्वास, सहयोग और वैश्विक भाइचारे वाले समाज की स्थापना के प्रयास करना ।
22. समाज और विश्व में शांति और समानता लाने की दिशा में कार्य करना ।
23. सामुदायिक विकास कार्यक्रमों, सामुदायिक केन्द्रों की स्थापना व अन्य भवनों का निर्माण, संचालन और विकास करना ।

ग्रामीण तथा शहरी आर्थिक विकास :

1. ग्रामीण तथा शहरी विकास के लिए कार्यक्रम तथा प्रोजेक्ट का प्रारूप तैयार करना और उन्हें कार्यान्वित कर उनकी समीक्षा करना ।
2. संसाधनों के बेहतर उपयोग, स्वच्छ पेयजल उपलब्धता, आधुनिक आवास तथा चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने हेतु ग्राम विकास समितियां बनाना और उन्हें सहायता तथा प्रोत्साहन देना ।
3. उर्जाविकास के लिए पर्यावरण मित्र तकनीकों तथा बायो गैस चूल्हा, बायो गैस संयंत्र, सौर उर्जा, पवन चक्कियां आदि आधुनिक यंत्रों को बढ़ावा देना ।
4. स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना और उनके कार्यों में मदद करना ।
5. ग्रामीण विकास में सूचना व प्रोद्योगिकी तकनीक को लागू करना व उसे बढ़ावा देना ।
6. कृषि आधारित उद्योग व पशुपालन तथा डेयरी उद्योगों की स्थापना व बढ़ावा देना । साथ ही कुक्कुट पालन (पोल्ट्री फार्म) को बढ़ावा देना ।

किसान व श्रमिक :

1. खेतीहार तथा मजदूरों के विकास के लिए प्रोजेक्ट तथा कार्यक्रम बनाना व उन्हें लागू करना ।
2. खेती के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देना और उपलब्ध करवाना ।

मन्त्री
अध्यक्ष

मन्त्री
मन्त्री (सचिव)

कोषाध्यक्ष
कोषाध्यक्ष


3. लघु ऋण व फाइनेंस उपलब्ध करवाने हेतु स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करना ।
4. सूचना तकनीक का लाभ उठाने हेतु प्रेरित करना व कम्प्यूटर कियोस्को की स्थापना करना ।
5. किसानों तथा मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना व शोषण से मुक्ति दिलवाना ।
6. किसान, श्रमीक एवं आम जन को नोकर-शाही तन्त्र से मुक्ती दिलवाकर सुखद अहसास करवाना ।


रोजगार तथा आय सृजन :


1. युवा विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने हेतु प्रोजेक्ट निर्माण करना ।
2. आधुनिक सूचना व तकनीक का उपयोग रोजगार तथा आय के साधन जुटाने में करना ।
3. लघु उद्योग, हैंडिक्राफ्ट तथा ग्रामीण वस्तुओं के निर्माण प्रशिक्षण हेतु संस्थाएं स्थापित करना ।
4. लोक कला, शिल्प तथा खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत, समूह तथा संस्थानों को बढ़ावा देना ।
5. समाज के परिष्कृत वर्ग, महिलाओं, गरीब व युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए प्रशिक्षण, औजार तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराना ।

शैक्षणिक :

1. समाज में शिक्षा की दर, बुनियादी शिक्षा और प्रोढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करना ।
2. बिना किसी रंगभेद, जाति लिंग, धर्म नस्ल के शिक्षा को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लागू करना ।
3. आर्थिक दृष्टि से कमजोर तथा समाज के परिष्कृत वर्ग के विद्यार्थियों को विशेष आर्थिक सहायता में वृद्धि करवाना ।
4. महिला शिक्षा, गरीब तथा असहाय बच्चों के सम्पूर्ण विकास करने वाला सामाजिक वातावरण विकसित करना ।
5. असहाय, मानसिक व शारीरिक निशक्त व्यक्तियों को संरक्षण, उचित शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना ।
6. शैक्षणिक केन्द्र, सभागार तथा पुस्तकालय खोलना, निर्मित और विकसित करवाना ।
7. शैक्षणिक मार्गदर्शक केन्द्रों, सूचना आदान प्रदान केन्द्रों तथा करियर परामर्श केन्द्रों की योजना बनाना, निर्माण करना और विकसित करवाना ।


अध्यक्ष



मन्त्री (सचिव)



कोषाध्यक्ष


8. पुराने साहित्य, पुस्तकों तथा अन्य प्राचीन भाषाओं के साहित्य के उपयोग के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं का निर्माण करना तथा उन्हें लागू करना ।
9. प्राचीन तथा विदेशी भाषाओं को सीखने के लिए शैक्षणिक केंद्रों का खोलना ।
10. शारीरिक तथा खेल शिक्षा सबके लिए विकसित करना ।
11. शिक्षा में आधुनिक तकनीक के प्रयोग को विकसित करना ।
12. समाज में शिक्षा की दर तथा शिक्षा के स्तर में वृद्धि के लिए शोध, नवीन विचारों और योजनाओं को प्रायोजित करना ।
13. गुरुकुल पद्धति शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा को विकसित करना तथा शैक्षणिक भ्रमणों का आयोजन करना ।
14. यातायात नियमों तथा सड़क सुरक्षा शिक्षा को बढ़ावा देना ।
15. शिक्षण हेतु स्कूल तथा महाविद्यालय यथा डिग्री कॉलेज, लॉ कॉलेज, बी.एड. कॉलेज, प्रबंधन संस्थान, मेडिकल व इंजिनियरिंग कॉलेज, कंप्यूटर उच्च शिक्षा संस्थान आदि स्थापित कर इनका संचालन करना और सभी को उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करना ।
16. सरकार/दानदाताओं से भूमि प्राप्त कर छात्रावासों का निर्माण एवं संचालन करना एवं समय समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना ।
17. शैक्षिक विकास हेतु अनुसंधान कार्य करना, सेमिनार, संगोष्ठियां, व्याख्यान, परिचर्चाएं आदि आयोजित करना, उनके निष्कर्षों को सरकार तक पहुंचाना व निष्कर्षों का प्रकाशन करना ।
18. शैक्षिक व साहित्यिक विकास हेतु पत्रिका, निर्देशिका, स्मारिका आदि पुस्तकों का प्रकाशन, प्रेरणात्मक सामग्री का संग्रह करना व मुद्रण तथा लेन देन को बढ़ावा देना ।

पर्यावरण / वातावरण :

1. पर्यावरण और वन्य जीवन के संरक्षण पर कार्य करना ।
2. प्राकृतिक संतुलन और बदलाव के संरक्षण के लिए कार्यक्रमों एवं योजनाओं का निर्माण करना तथा उन्हें लागू करना ।
3. वृक्षारोपण को बढ़ावा देना एवं सामाजिक वानिकी का विकास एवं संरक्षण को बढ़ावा देना ।
4. मरुभूमि, उसर भूमि एवं सेम (पश्चिमी राजस्थान) के प्रसार को रोकने हेतु कार्य करना तथा नर्सरी एवं ग्रीन हाउसेस का निर्माण, सहायता और प्रायोजित करना ।
5. पर्यावरण और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए प्रशिक्षण एवं शोध केंद्रों का निर्माण सहायता, विकास और प्रायोजन करना ।
6. प्रभावशाली तथा कार्यकुशल दुर्घटना प्रबंधन व्यवस्था के लिए एक आंतरिक नेटवर्क का निर्माण करना ।
7. जनसंख्या संकट को नियंत्रित करने के लिए लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना ।
8. पर्यावरणीय "इको ट्यूरिज्म" को बढ़ाना ।
9. जानवरों के संरक्षण के लिए पर्यावरणीय मित्रता दल गठित करना ।


अध्यक्ष


मन्त्री (सचिव)


कोषाध्यक्ष

10. हमारे पर्यावरण की बेहतरी तथा प्राकृतिक संतुलन के लिए विश्वस्तार पर सूचना के आदान-प्रदान और आधुनिक तकनीक का विकास करना।
11. प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं पर्यावरण को बढ़ावा देने वाली कोई शोध या सूचना को सहायता देना तथा प्रायोजित करना।
12. पर्यावरण मित्र तकनीक व तरीकों को बढ़ावा देने के लिए पंचायत, ग्राम व तहसील स्तर पर स्थानीय समूह तैयार करना।
13. भू संरक्षण तथा जल दोहन के वैज्ञानिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा।
14. वर्षा जल संरक्षण/जल नियोजन हेतु आधुनिक तकनीक की सहायता को बढ़ावा देना।
15. ठोस कचरा प्रबंधन योजना तथा नीतियों का नियमन करना।
16. औद्योगिक व चिकित्सालय कचरा निपटान हेतु योजनाएँ प्रायोजित करना।
17. पेट्रोलियम पदार्थों का संरक्षण करना और सीमित संसाधनों के उपयोग के प्रति लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास करना।

पोषण तथा स्वास्थ्य :

1. समाज के गरीब, कमजोर व जरूरतमंद वर्ग तथा बच्चों, महिलाओं तथा प्रौढ़ों को स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना।
2. एड्स, कैंसर, पोलियो, टी.बी., हेपेटाइटिस-बी जैसी बीमारियों के लिए मुफ्त चेकअप केम्प आयोजित करना।
3. नशे के आदी, मनोरोगी तथा प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भुकम्प, सुखा इत्यादि के समय जरूरतमंदों के लिए रैनबसेरे उपलब्ध कराना।
4. कैंसर, एड्स, थैलसिमिया जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को बेहतर देखरेख, दवाईयां, चिकित्सा तथा सेवा उपलब्ध कराना।
5. समाज के मंदबुद्धि तथा विकलांगों हेतु सेवा केन्द्र व संस्थाएं खोलना तथा उनका संचालन करना।
6. महिलाओं को बेहतर मातृत्व तथा नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य देखभाल के लिए जागरूक करना।
7. प्रत्येक नागरिक को बेहतर चिकित्सा तथा स्वास्थ्य देने के लिए नई शोध करना।
8. समाज के जरूरतमंद गरीब व ग्रामीण वर्ग को स्वास्थ्य तथा पोषण दिया जाना सुनिश्चित करना।
9. चल चिकित्सालय तथा औषधालय उपलब्ध कराना।
10. चिकित्सा सहायता केन्द्र प्रायोजित कर समाज के प्रत्येक वर्ग को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना।
11. चिकित्सा हेल्प लाईन शुरू करना।
12. आयुर्वेद, प्राकृतिक, हौम्योपैथी, एक्जूप्रेसर, एलोपैथी आदि चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देना और जागरूकता लाना।
13. समाज में पोषित एवं संतुलित आहार के प्रति जन जागृति पैदा करना।

inuram 2020mm
अध्यक्ष


[Signature]
मन्त्री (सचिव)

32/11/2020
कोषाध्यक्ष

आवास :


1. सुन्दर तथा सुरक्षित आवास प्रत्येक जन को उपलब्ध हो, इसके लिए आधुनिक आवास प्रबन्ध प्रणाली लागू करना ।
2. मित्रतापूर्ण वातावरण वाले शहर का निर्माण तथा विकास करने में सहायता प्रदान करना ।
3. गरीब तथा जरूरतमंद लोगों को छोटा, सस्ता और प्रकृति के करीब आवास उपलब्ध करना ।
4. शहरों कस्बों में झुग्गी झोपड़ियों तथा कच्ची बस्तियों का योजनापूर्वक नियमन करना और उन्हें व्यवस्थित रूप से बसाना ।
5. शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण में वास्तु शास्त्र को बढ़ावा देना ।


मानव अधिकार :


1. आम जनता में मूल तथा लोक अधिकारों के प्रति जागरूकता लाना ।
2. उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण हेतु जागरूकता लाना तथा कार्य करना ।
3. गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु योजनाएँ बनाना और लागू करना ।
4. बाल श्रमिकों एवं बन्धुआ मजदूरों के पुर्नवास हेतु कार्य करना ।
5. उपभोक्ताओं, श्रमिकों तथा जरूरतमंदों को कानूनी सलाह तथा सहायता उपलब्ध कराना ।
6. महिलाओं, प्रौढ़ों, श्रमिकों तथा जरूरतमंदों हेतु परामर्श सत्र आयोजित करना ।
7. लिंग भेद तथा हतौत्साहन को दूर करने हेतु योजनाएं बनाना ।
8. महिलाओं, प्रौढ़ों, विकलांगों तथा मंदबुद्धि लोगों के लिए स्वस्थ सामाजिक वातावरण निर्माण योजनाएं विकसित करना ।
9. जानवरों के संरक्षण तथा कल्याण के योजनानुसार कार्यक्रम बनाना और कार्य करना ।
10. 

सांस्कृतिक :

1. जन आंदोलन, योजनाओं और प्रोजेक्टों की मदद से सांस्कृतिक मूल्यों तथा विरासत का संरक्षण करना ।
2. सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए लोगों में नैतिक व ज्ञानवर्धक शिविर लगाना और कार्य करना ।
3. समाज में मूल सामाजिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता लाना ।
4. समाज में वैज्ञानिक तकनीकी सोच विकसित करने की दिशा में कार्य करना ।
5. सामाजिक महत्व के स्थल तथा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के बढ़ावा देकर पर्यटक स्थलों का विकास करना ।
6. लोक कला, संस्कृति व सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण को बढ़ावा देना ।
7. प्रचलित लोक खेल, लोक संगीत व नृत्य, नुक्कड़ नाटक तथा कला आदि को बढ़ावा देना ।
8. भारतीय संस्कृति व भाषा का संरक्षण करना ।


अध्यक्ष


मन्त्री (सचिव)


कोषाध्यक्ष

4. सदस्यता : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे।
1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
 2. बालिग हों।
 3. पागल, दिवालिये न हों।
 4. संस्था के उद्देश्य में रूचि व आस्था रखते हों।
 5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. सदस्यों का वर्गीकरण : संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-

1. संरक्षण
 2. विशिष्ट
 3. सम्माननीय
 4. साधारण
- (जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा

: उप नियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-

1. संरक्षण राशि 1,11,000/- वार्षिक/आजन्म
2. विशिष्ट राशि 2,000/- वार्षिक/आजन्म
3. सम्माननीय राशि 8,71,00/- वार्षिक
4. साधारण राशि 8,11,00/- वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु..... की मासिक दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. सदस्यता से निष्कासन

: संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा:-

1. मृत्यु होने पर
2. त्याग पत्र देने पर
3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
4. प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर

8. साधारण सभा

: संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य

: साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे।

1. प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।
2. वार्षिक बजट पारित करना।
3. प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।

4. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना।

(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।

अध्यक्ष

मन्त्री (सचिव)

कोषाध्यक्ष

10. साधारण सभा की बैठकें :
1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी ।
 2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा ।
 3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी ।
 4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी । ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे ।
 5. संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इसमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा । निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्व मान्य होंगे ।

11. कार्यकारिणी का गठन : संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न होंगे :-



- | | |
|--|------------------|
| 1. अध्यक्ष-एक | 2. उपाध्यक्ष-एक |
| 3. मंत्री-एक | 4. कोषाध्यक्ष-एक |
| 5. सदस्य-
(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।) | |

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 4

पदाधिकारी व 11 सदस्य कुल 15 सदस्य होंगे ।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :
1. संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा ।
 2. चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा ।
 3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी ।

Ganesh Kumar
अध्यक्ष

[Signature]
मंत्री (सचिव)

[Signature]
कोषाध्यक्ष

13. कार्यकारिणी के:
अधिकार और कर्तव्य

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :-

1. सदस्य बनाना/निष्कासित करना ।
2. वार्षिक बजट तैयार करना ।
3. संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना ।
4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना, उन्हें सेवा मुक्त करना ।
5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना ।
6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना ।
7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना ।

14. कार्यकारिणी की :
बैठकें

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी ।
2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा ।
3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है ।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी । ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी । लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे । ऐसी स्थागित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी । इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा ।

15. प्रबन्धकारिणी के
पदाधिकारियों के
अधिकार व कर्तव्य


संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-


1. अध्यक्ष


1. बैठकों को आहूत करना ।
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना ।
3. बैठकें आहूत करना ।
4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना ।
5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना ।

2. उपाध्यक्ष :

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना ।
2. प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों को उपयोग करना ।


अध्यक्ष


मंत्री (सचिव)


कोषाध्यक्ष

3. मन्त्री :

1. बैठकें आहूत करना ।
2. कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना ।
3. आय-व्यय पर नियन्त्रण करना ।
4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन या यात्रा बिल आदि पास करना ।
5. संस्था की प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना ।
6. पत्र व्यवहार करना ।
7. सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों ।

4. उपमन्त्री :

1. मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना ।
2. अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें ।

5. कोषाध्यक्ष :

1. वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना ।
2. दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना ।
3. चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना ।
4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना ।

16. संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :

1. चन्दा
2. शुल्क
3. अनुदान
4. सहायता
5. राजकीय अनुदान

1. उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत सहकारी बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी ।
2. अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लने-देने संभव होगा ।

17. कोष संबंधी विशेषाधिकार :

संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे ।

1. अध्यक्ष..... 15,000/- रु.
2. मन्त्री..... 10,000/- रु.
3. कोषाध्यक्ष..... 5,000/- रु.

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा । अंकेक्षण को नियुक्त प्रबंधकारिणी द्वारा की जायेगी ।

Manabendra Kumar
अध्यक्ष

[Signature]
मन्त्री (सचिव)

[Signature]
कोषाध्यक्ष

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	श्री बनवारी लाल खण्डेलवाल पुत्र श्री भूरा लाल पटवारी	व्यापार	प्लॉट नं. 381, लक्ष्मीनगर ब्रह्मपुरी, मंगोडी वालो की बगीची जयपुर	अध्यक्ष
2.	डॉ. पांचूराम मीणा पुत्र श्री हनुमान सहाय मीणा	व्याख्याता	ग्रा./पो. झॉकरी तह. थानागाजी जिला अलवर	उपाध्यक्ष
3.	श्री रमेश चन्द मीणा पुत्र श्री जगदीश नारायण मीणा	समाजिक कार्यकर्ता	सीहरा सदन, वस स्टेण्ड जमवारामगढ़, जयपुर	मंत्री (सचिव)
4.	श्री रामफूल मीणा पुत्र श्री श्योबक्श मीणा	सेवानिवृत्त अभियन्ता	एफ-103 III-ए खेतडी नगर, जिला झुन्झुणु	कोषाध्यक्ष (खंजाची)
5.	श्री अशोक कुमार मीणा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण मीणा	व्याख्याता	ग्रा.-सूरतपुरा, पो. मण्डवरी, तह.लालसोठ, जिला दोसा	सदस्य
6.	श्री रामपाल चॉन्दा पुत्र श्री छीतारमल मीणा,	कृषक	ग्रा.-भांकरी, तह. बरसी जिला-जयपुर	सदस्य
7.	श्री कृष्णकान्त ध्यावणा पुत्र श्री नारायण	ठेकेदार	ग्रा.-नयावास, तह. -लालसोठ, जिला-दोसा	सदस्य
8.	श्री रामगोपाल हरिजन पुत्र श्री जुम्मन हरिजन	सरकारी कर्मचारी	ग्रा.-जमवारामगढ़ जिला-जयपुर	सदस्य
9.	श्रीमती मीनाक्षी करौल पत्नी श्री राजकुमार	समाजिक कार्यकर्ता	ग्रा.-नांगल सुसावतान तह. आमेर, जयपुर	सदस्य
10.	श्री बालमुकुन्द शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा	व्यापारी	ग्रा./पो.-जमवारामगढ़ जयपुर	सदस्य
11.	श्री जलिकी लाल मीणा पुत्र श्री महादेव प्रसाद	सरकारी कर्मचारी	ग्रा.-भटकाबास तह. जमवारामगढ़. जयपुर	सदस्य
12.	श्री सुरेश चन्द सुलानिया पुत्र श्री ख्यालीराम सुलानिया	सरकारी कर्मचारी	ग्रा./पो.-दँताला, गुजराण, तह. जमवारामगढ़. जयपुर	सदस्य
13.	श्री बद्री नारायण मीणा पुत्र श्री जयराम मीणा	सरकारी कर्मचारी	ग्रा.-ईश्वरी सिंहपुरा, पो.-फूरोलान	सदस्य
14.	श्री हनुमान सहाय शर्मा पुत्र स्व. श्री कन्हैया लाल शर्मा	सेवानिवृत्त व्याख्याता	ग्रा./पो. जमवारामगढ़ जिला जयपुर	सदस्य
15.	श्री इन्द्रपाल मीणा पुत्र श्री गिराज मीणा	अभियन्ता	ग्रा.-खरखड़ा पॉवर हाउस जी.एस.एस. कॉलोनी, राजगढ़ जिला अलवर	सदस्य

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण निम्न प्रकार है, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	श्री बनवारी लाल खण्डेलवाल पुत्र श्री भूरा लाल पटवारी	व्यापार	प्लॉट नं. 381, लक्ष्मीनगर बह्मपुरी, जयपुर	Ganesh Kumar 20/05/2020
2.	डॉ. पांचूराम मीणा पुत्र श्री हनुमान सहाय मीणा	व्याख्याता	ग्रा./पो. झोंकरी तह. थानागाजी जिला अलवर	P. Meena
3.	रमेश चन्द मीणा पुत्र श्री जगदीश नारायण मीणा	समाजिक कार्यकर्ता	सीहरा सदन, जमवारामगढ़,	
4.	श्री अशोक कुमार मीणा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण मीणा	व्याख्याता	ग्रा.-सूरतपुरा, पो. मण्डवरी, तह. लालसोठ, जिला दोसा	अशोक कुमार
5.	श्री रामफूल मीणा पुत्र श्री श्योबक्श मीणा	सेवानिवृत्त अभियन्ता	पो.-खेतड़ी नगर, जिला झुझुनु	P. Meena
6.	श्री रामपाल चौन्दा पुत्र श्री छीतारमल मीणा,	कृषक	ग्रा.-भाँकरी, तह. बरसी जिला-जयपुर	R. K. Meena
7.	श्री कृष्णकान्त ध्यावणा पुत्र श्री नारायण	ठेकेदार	ग्रा.-नयावास, तह.-लालसोठ, जिला-दोसा	K. K. Meena
8.	श्री रामगोपाल हरिजन पुत्र श्री जुम्नन हरिजन	सरकारी कर्मचारी	ग्रा.-जमवारामगढ़ जिला-जयपुर	H. J. Meena
9.	श्रीमती मीनाक्षी करौल पत्नी श्री राजकुमार	समाजिक कार्यकर्ता	ग्रा.-नांगल सुसावतान तह. आमेर, जयपुर	M. K. Meena
10.	श्री बालमुकुन्द शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा	व्यापारी	ग्रा./पो.-जमवारामगढ़ जयपुर	G. K. Meena
11.	श्री जामकी लाल मीणा पुत्र श्री महादेव प्रसाद	सरकारी कर्मचारी	ग्रा.-भटकावास तह. जमवारामगढ़. जयपुर	G. K. Meena
12.	श्री सुरेश चन्द सुलानिया पुत्र श्री ख्यालीराम सुलानिया	सरकारी कर्मचारी	ग्रा./पो.-दँताला, गुजरात, तह. जमवारामगढ़. जयपुर	G. K. Meena
13.	श्री बद्री नारायण मीणा पुत्र श्री जयराम मीणा	सरकारी कर्मचारी	ग्रा.-ईश्वरी सिंहपुरा, पो.-फूरोलान	G. K. Meena
14.	श्री हनुमान सहाय शर्मा पुत्र स्व. श्री कन्हैया लाल शर्मा	सेवानिवृत्त व्याख्याता	ग्रा./पो. जमवारामगढ़ जिला जयपुर	G. K. Meena
15.	श्री बाबू लाल पुत्र श्री कल्याण सहाय	कृषक	ग्रा./पो. मेदराज सिंहपुरा जमवारामगढ़ जयपुर	G. K. Meena
16.	श्री इन्द्रपाल मीणा पुत्र श्री गिराज मीणा	अभियन्ता	ग्रा.-खरखड़ा पॉवर हाउस, 132 के.वी. जी.एस.एस. कॉलोनी, राजगढ़ जिला अलवर	G. K. Meena
17.	श्री हेमराज मीणा पुत्र श्री रामफूल मीणा	सामाजिक कार्यकर्ता	ग्रा./पो. खोरा-मीणा, तह. आमेर	G. K. Meena
18.	श्री गिरधरी लाल मीणा पुत्र श्री जयराम	सरकारी कर्मचारी	ग्रा.-ईश्वरी सिंहपुरा पो. फुटाला जमवारामगढ़, जयपुर	G. K. Meena

Ganesh Kumar
अध्यक्ष

मंत्री (सचिव)

G. K. Meena
कोषाध्यक्ष

19.	श्री दिनेश चन्द शर्मा पुत्र श्री रामावतार शर्मा	व्यपारी	ग्रा.-जमवारामगढ़ जयपुर	
20.	श्री जगदीश नारायण मीणा पुत्र स्व. श्री भैरू राम मीणा	केन्द्रीय सेवा	ग्रा./पो. जमवारामगढ़ जयपुर	
21.	श्री रामजीलाल मीणा पुत्र श्री कल्याण सहाय मीणा	कृषक	ग्रा.-मेदराज सिंहपुरा, तह. जमवारामगढ़	
22.	श्री कन्हैया लाल सिंहरा पुत्र श्री भैरू लाल सिंहरा	राज्य सेवा	ग्रा.-मेदराज सिंहपुरा, तह. जमवारामगढ़	
23.	श्री सुरज भान नैनावत पुत्र श्री भौरे लाल नैनावत	केन्द्रीय सेवा	वर्ष - 202. हसन रवा भैवात - अलवर - जंगर, अलवर (राज.)	
24.	श्री राकेश मीणा पुत्र श्री भगवान सहाय	राज्य सेवा	ग्रा.-मेदराज सिंहपुरा, तह. जमवारामगढ़	राकेश मीणा
25.	श्री कल्याण सहाय पुत्र श्री प्रभाती लाल	कृषक	ग्रा.-मेदराज सिंहपुरा, तह. जमवारामगढ़	कल्याण सहाय

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर किये हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

1. हस्ताक्षर

(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

(RAJESH K. SHARMA, UDC (EPFO)

C/O NIDHI BHAWAN
54071 NAGAR JAIL

2. हस्ताक्षर

(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

(G. L. Taragid) S/O. M. P.
Taragid, 6-F-11, Mahaveer Nagar Extension
Kota Camp Jaipur

प्रमाणित करने वाला
अध्यक्ष

मन्त्री (सचिव)

ATTESTED

NOTARY PUBLIC
JAIPUR (RAJ.)
15 SEP 2004

कोषाध्यक्ष



423
(1) संख्या 423/04
(2) यथा
(3) बिना
(4) दिनांक 16/9/04
(5) हस्ताक्षर रजिस्ट्रार

दिनांक 26/11/08 की संस्था की नवनिर्वाचित प्रबन्धकारिणी की सूची

क्र० सं०	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	रामजीलाल मीणा पुत्र श्री कल्याण सहाय मीणा	कृषक	ग्राम-मेदराजसिंह पुरा, ज.रामगढ़	अध्यक्ष
2.	राधेश्याम पुत्र श्री रामस्वरूप	राजकीय कर्मचारी	पार्वती कुटीर, ब्रह्मपुरी, जयपुर	उपाध्यक्ष
3.	रमेश चन्द मीणा पुत्र श्री जगदीश नारायण	सामाजिक कार्यकर्ता	सीहरा सदन, ज.रामगढ़	सचिव
4.	श्री रामफूल मीणा पुत्र श्री श्योबक्स मीणा	सेवानिवृत्त अभियंता	एफ-103, III-A, खेतड़ी नगर, जिला-झुन्झुनू	कोषाध्यक्ष
5.	श्री अशोक कुमार मीणा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण मीणा	व्याख्याता	ग्राम-सूरतपुरा, पोस्ट-मण्डावरी तहसील-लालसोट, दौसा	सदस्य
6.	श्री रामपाल चांदा पुत्र श्री छीतरमल	कृषक	ग्राम-भांकरी, तहसील-बस्सी जयपुर	सदस्य
7.	श्री कृष्णकांत ध्यावणा पुत्र श्रीनारायण	ठेकेदार	ग्राम-नयावास, तहसील-लालसोट, दौसा	सदस्य
8.	श्री रामगोपाल हरिजन पुत्र श्री जुम्नन हरिजन	सरकारी कर्मचारी	ग्राम-जमवारामगढ़, जयपुर	सदस्य
9.	श्रीमती मीनाक्षी करोल पत्नी श्री राजकुमार	सामाजिक कार्यकर्ता	ग्राम-नांगल सुसावतान तहसील-आमेर, जयपुर	सदस्य
10.	श्री रामप्रकाश मीणा पुत्र श्री जे एन मीणा	सरकारी कर्मचारी	बस स्टेण्ड- जमवारामगढ़, जयपुर	सदस्य
11.	श्रीमती शोभा मीणा पत्नी श्री अशोक कुमार	सरकारी कर्मचारी	ग्राम-सूरतपुरा, मण्डावरी छोसा	सदस्य
12.	श्रीमती कौशल्या मीणा पत्नी श्री के के मीणा	सामाजिक कार्यकर्ता	कमला सदन, मारुति कॉलोनी, दौसा	सदस्य
13.	श्रीमती गुलाब देवी पत्नी श्री जगदीश नारायण	निजी व्यवसाय	ग्राम-मेदराजसिंह पुरा, ज.रामगढ़	सदस्य
14.	ममता मीणा पुत्री श्री रामस्वरूप मीणा	सामाजिक कार्यकर्ता	मंगोड़ी वालों की बगीची, ब्रह्मपुरी, जयपुर	सदस्य
15.	श्रीमती नागदेवी मीणा पत्नी श्री देवीलाल मीणा	निजी व्यवसाय	बी-244, आदर्श नगर, जयपुर	सदस्य

राज. संस्था रजिस्ट्रेशन अभिनियम 1968
की धारा 10 के तहत
गृहीत किया जाता है कि यह संस्था
विशेष में दर्ज करायें गये हए हैं।
सं. पृष्ठ 14-2-08
1. नकल देने की दिनांक 14-2-08
2. नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर

अध्यक्ष
कोषाध्यक्ष

3-2-08
जयपुर